न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया
पीठासीन अधिकारीः—उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः—124/2019
वादपत्र अन्तर्गत धारा संख्याः—88,53 आरटीए

1 अभिषेक पुत्र कुलदीप गोदारा जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
2 आरजू गोदारा पुत्री कुलदीप गोदारा जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
3 सूजल गोदारा पुत्र सुरेन्द्र गोदारा नाबालिग ज.कु.बली माता बिरमादेवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट आयु 11 वर्ष सा. नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4 कुलदीप पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
6 देवीलाल पुत्र जीसुखराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।

—वादीगण

बनाम

1. पुष्पादेवी पुत्री देवीलाल (पत्नि रविन्द्र कुमार) जाति जाट साकिन कुलारां तह. व जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. मन्जूदेवी पुत्री देवीलाल (पत्नि देवराज) जाति जाट साकिन बोलावाली तह.संगरिया।
3. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा संगरिया तहसील संगरिया।
4. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा संगरिया।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

—प्रतिवादीगण

अधिवक्ता वादीगण द्वारा एक राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88/53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार वादीगण एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 एक ही संयुक्त परिवार के सदस्य है। दावा की सही स्थिति को समझने के लिए वादीगण की वंशावली का विवरण अंकित है।

चक 9 एन.टी.डब्ल्यु खाता सं. 11/41 खाता देवीलाल वगैरा में वादी स. 4 ता 6 व प्रति सं. 1 व 2 के नाम ब.हि.ब.के हिसाब से 5.061 है0 आराजी दर्ज है। नकल जमाबन्दी चक 9 एन.टी.डब्लयु ज.सं. 2069—72 संलग्न है। व इसी चक के खाता सं. 14/41 खाता कुलदीप कुमार वगैरा में वादी स. 4 व 5 के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से 6.579 है0 आराजी दर्ज है। नकल जमाबन्दी ज.सं. 2069—72 संलग्न है एवं चक 5 एम.जे.डी. खाता सं. 9/27 खाता देवीलाल वगैरा में वादी सं. 4 ता 6 व प्रति सं. 1 व 2 के नाम ब.हि.ब.के हिसाब से 9.109 है0 आराजी दर्ज है। नकल जमाबन्दी ज.सं. 2070—73 संलग्न है एवं चक 7 एम.जे.डी.खाता सं. 11/7 खाता कुलदीप कुमार वगैरा में वादी स. 4 व 5 के नाम ब.हि.ब. के हिसाब से 23.023 है0 आराजी दर्ज है। जिसकी नकल जमाबन्दी ज.सं. 2071—74 संलग्न है।

दावा की दफा 3 में दर्ज आराजी हमारी जद्दी जायदाद है जिसमें वादी सं. 4 ता 6 एवं प्रति सं. 1 व 2 के साथ वादी सं. 1 ता 3 का भी जन्म से ही हक बनता है। प्रति सं. 1 ने अपना विरास्तन हक वादीगण के पक्ष में परित्याग कर दिया है। इसलिए वादग्रस्त आराजी में प्रति सं. 1 का कोई हक व हिस्सा नहीं है। वादग्रस्त आराजी के वादीगण ही खातेदार काश्तकार है। इसी कदर की घोषणा वादीगण प्राप्त करवाने के अधिकारी एवं दावेदार है।

वादग्रस्त आराजी का वादीगण एवं प्रति सं. 2 ने काश्त की सुविधानुसार आपस में नियमानुसार घरू विभाजन कर लिया है जिसके अनुसार वादीगण व प्रति सं. 2 के हिस्सा में निम्नानुसार आराजी आई हैः—

- वादी सं. 1 अभिषेक पुत्र कुलदीप गोदारा का हिस्सा :—चक 7 एम.जे.डी. पं.नं. 157/180 मु.नं. 51 किला नं. 18 ता 25/.253 है प्र. = 2.024 है0 पं.नं. 156/180 मु.नं. 52 किला नं. 16/.228 17 ता 24/.253 है.प्र. 25/.228 गै.मु/.050 = 2.530 है0 पं.नं 156/181 मु.नं. 57 किला नं. 1 ता 5/.228 है.प्र. 6 ता 8/.253 है.प्र. 9/.190 10/.063 13/.063 14/.190 15/.253 गै.मु./.125 = 2.783 है. पं.नं. 157/180 मु.नं. 58 किला नं. 1/.253 7 ता 15/.253 प्र. = 2.530 है0 कुल योग = 9.867 है.।

- वादी सं. 2 आरजू गोदारा पुत्री कुलदीप गोदारा का हिस्साः–चक 5 एम.जे.डी. पं.नं 158/180 मु.नं. 5 किला नं. 13 ता 17/.253 है.प्र. पं.नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 11,12,13/.253 है.प्र. कुल = 2.024 हैं.
- वादी सं. 3 सूजल गोदारा पुत्र सुरेन्द्र कुमार का हिस्साः–चक 9 एन.टी.डब्ल्यु पं.न. 157/179 मु.नं. 51 किला नं. 3,4,5/.228 है.प्र. 8,9/.253 है.प्र. गै.मु./.076 कुल = 1. 266 है.।
- वादी सं. 4 कुलदीप पुत्र देवीलाल का हिस्साः– चक 7 एम.जे.डी. पं.नं.157/180 मु.नं.51 किला नं. 6 ता 17/.253 प्र =3.036 है0 प.नं.156/180 मु.नं. 52 किला नं. 1,2/. 253प्र. 6/.228 7 ता 14/.253 प्र.15/.228 गै.मु./.050 = 3.036 है0 पं.नं. 155/180 मु.नं. 53 किला नं. 5/.228 6/.253 गै.मु./.025 = 0.506 है0 कुल योग = 6.578 है0 चक 5 एम.जे.डी. पं.नं. 158/180 मु.न. 5 किला नं. 6 ता 12/.253 प्र. = 1.771 है0 पं. नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 9,10/.253 प्र. = 0.506 कुल = 2.277 है0 चक 7 एम. जे.डी. पं.नं. 157/181 मु.नं. 58 किला नं. 2 ता 6 /.253 प्र = 1.265 है0
- वादी सं. 5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल का हिस्साः–चक 7 एम.जे.डी. प.नं. 156/179 मु.नं. 50 किला नं. 12 ता 14/.253 प्र. 15,16/.228 प्र 17/.253 24/.253 25/.228 गै.मु./.075 = 2.024 है0 पं.नं. 157/180 मु.नं. 51 किला नं. 1 ता 5/.253 प्र. = 1.265 है. प.नं. 156/180 मु.नं. 52 किला नं. 3,4/.253 प्र. 5/228 गै.मु./.025= 0.759 है. कुल = 4.048 है0 चक 9 एन.टी.डब्ल्यु प.नं. 157/179 मु.नं. 51 किला नं. 6,7/.253 प्र. 11 ता 25/.253 प्र.= 4.301 है0 चक 7 एम.जे.डी. प.नं.156/179 मु. नं. 50 किला नं.18,19,21 ता 23/.253 प्र.=1.265 है0
- वादी सं. 6 देवीलाल पुत्र जीसुखराम का हिस्साः–चक 9 एन.टी.डब्ल्यु पं.नं. 159/179 मु.नं. 49 किला नं. 21,22/.253 प्र. = 0.506 है0 पं.नं. 158/179 मु.नं. 50 किला नं. 1 ता 4/.228 प्र. 7 ता 11/.253 प्र. 20,21/.253 प्र 22 ता 25/.253 प्र गै.मु./. 101 =3.796 है0 कुल = 4.302 है0 चक 5 एम.जे.डी. पं.नं. 158/180 मु.नं. 5 किला नं. 1 ता 5/.253 प्र. 18 ता 23/.253 प्र.= 2.783 है0 पं.नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 1,2/.228 प्र गै.मु./.051 = 0.507 है0 पं.नं. 158/181 मु.नं. 21 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10/.253 प्र.= 1.518 है.कुल = 4.808 है.।
- प्रतिवादीया सं. 2 मन्जू देवी पुत्री देवीलाल (पत्नि देवराज) का हिस्साः–चक 9 एन. टी.डब्ल्यु प.नं. 158/179 मु.नं. 50 किला नं. 12 ता 14/.253 प्र. 16 ता 19/.253 प्र.= 1.771 है0

वादीगण व प्रति सं. 2 मौका पर दावा की दफा 5 के अनुसार काबिज है। हमने काश्त की सुविधा के लिए व अपने अपने खेतों में आने जाने हेतु चक 9 एन.टी.डब्ल्यु प. नं. 158/179 मु.नं. 50 में पत्थर लाईन के साथ साथ किला नं. 1–10–11–20–21 में दो–दो विस्वा रास्ता उतर से दक्षिण व चक 5 एम.जे.डी.प.नं.158/180 मु.नं. 5 मे पत्थर लाईन के साथ साथ किला नं. 1–10–11–20–21 में उतर से दक्षिण में दां–दो विस्वा रास्ता छोड़ा है। हम इसे राजस्व रिकार्ड में बतौर गै.मु. रास्ता मंजुर करवाना चाहते है ताकि भविष्य में कोई विवाद न हो इसलिए राजस्व रिकार्ड में उक्त रास्ता को बतौर गै.मु. दर्ज करवाना चाहते है। वादीगण ने प्रति सं .1 व 2 से कई दफा कहा कि आप हमें दावा की दफा 5 में दर्ज आराजी अनुसार इसका खातेदार काश्तकार होना मान लो व इसी अनुसार हमारा खाता अलग–अलग कायम करवा दो व दावा की दफा 6 के अनुसार रास्ता स्वीकृत करवा दो तो पहले तो वे टालमटोल करते रहे लेकिन दावा दायरी से एक सप्ताह वादीगण के इस निवेदन से स्पष्ट इंकार हो गये। बस यही विनाय दावा है।

उपरोक्त तथ्यों के आधार पर वाद प्रस्तुत होने पर सिगेदार की रिपोर्ट ली गई। वाद–पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 ता 2 की ओर से न्यायालय में जरिये अधिवक्ता जवाब दावा पेश कर वाद को स्वीकार किया गया। जवाब दावा के साथ पक्षकारों की आईडी की चित्रप्रतियां स्वहस्ताक्षरित पेश की गई। स्टेट जवाब दावा प्रस्तुत हुआ जिसे शामिल मिसल किया

गया। साक्ष्य वादी में वादी संख्या 5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल की ओर से आदेश 18 नियम 4 सीपीसी का शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया तथा वाद के साथ प्रस्तुत जमाबन्दी प्रदर्श 1 ता 9 करवाई गयी। फार्म नं. 3 के साथ वारिसान तस्दीक की फोटो प्रति,पैतृक सम्पति साक्ष्य में पर्चा खतौनी चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा,चक 5 एमजेडी खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा, चक 7 एमजेडी खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा,की जमाबन्दी प्रमाणित प्रतियां पेश की गई है जो शामिल पत्रावली है। प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के सम्मन बाद तामिल प्राप्त होने पर भी उपस्थित नहीं आये इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई।

बहस उभय पक्ष विद्वान अधिवक्तागण सुनी गई। बहस में वकील वादीगण ने वाद पत्र के तथ्यों को दौराते हुए कथन किया कि वाद पत्र में वर्णित उक्त चकों की समस्त आराजी विरास्तन होने के कारण हमारा इसमें विरास्तन हक हिस्सा बनता है। वकील प्रतिवादीगण संख्या 1 वा 2 ने वादीगण के वाद का कोई विरोध नहीं किया व वादपत्र को स्वीकार किये जाने पर अपनी सहमति व्यक्त की गई। पैतृक सम्पति साक्ष्य में पर्चा खतौनी चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा चक 5 एमजेडी खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा चक 7 एमजेडी खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा की प्रमाणित प्रतियों के संदर्भ में वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति होना साबित होने से वादपत्र स्वीकार किये जाने का निवेदन किया।

दस्तावेजों का गहराई से अध्ययन किया गया। वादपत्र में वर्णित आराजी को पैतृक सम्पति साबित करने हेतु वादीगण द्वारा चक नं. 9 एनटीडब्ल्यू खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा चक 5 एमजेडी खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा चक 7 एमजेडी खाता संख्या 21 खाता मोती वगैरा पर्चा खतौनी की प्रमाणित प्रतियॉ पेश की है जिससे वादपत्र में वर्णित आराजी पैतृक सम्पति है तथा वादीगण एवं प्रतिवादीगण के मध्य उक्त आराजी की घोषणा बाबत सहमति का जवाबदावा पेश किये है। वाद पत्र में वर्णित आराजी को लेकर पक्षकारान के मध्य कोई विवाद नहीं है। इसलिए प्रकरण में तनकीयात कायम किये जाने की आवश्यकता नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार वाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा व पैतृक सम्पति के साक्ष्य के आधार पर स्वीकार किये जाने योग्य है।

क्रियात्मक आदेश

- अतःवाद वादीगण मुताबिक सहमति के जवाबदावा के आधार पर स्वीकार किया जाता है किः– वादी सं. 1 अभिषेक पुत्र कुलदीप गोदारा का हिस्सा :–चक 7 एम.जे.डी. पं.नं. 157/180 मु.नं. 51 किला नं. 18 ता 25/.253 है प्र. = 2.024 है0 पं.नं. 156/180 मु.नं. 52 किला नं. 16/.228 17 ता 24/.253 है.प्र. 25/.228 गै.मु/.050 = 2.530 है0 पं.नं 156/181 मु.नं. 57 किला नं. 1 ता 5/.228 है.प्र. 6 ता 8/.253 है.प्र. 9/.190 10/.063 13/.063 14/.190 15/.253 गै.मु./.125 = 2.783 है. पं.नं. 157/180 मु.नं. 58 किला नं. 1/.253 7 ता 15/.253 प्र. = 2.530 है0 कुल योग = 9.867 है.।
- वादी सं. 2 आरजू गोदारा पुत्री कुलदीप गोदारा का हिस्साः–चक 5 एम.जे.डी. पं.नं 158/180 मु.नं. 5 किला नं. 13 ता 17/.253 है.प्र. पं.नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 11,12,13/.253 है.प्र. कुल = 2.024 हैं.
- वादी सं. 3 सूजल गोदारा पुत्र सुरेन्द्र कुमार का हिस्साः–चक 9 एन.टी.डब्ल्यु पं.न. 157/179 मु.नं. 51 किला नं. 3,4,5/.228 है.प्र. 8,9/.253 है.प्र. गै.मु./.076 कुल = 1.266 है.।
- वादी सं. 4 कुलदीप पुत्र देवीलाल का हिस्साः– चक 7 एम.जे.डी. पं.नं.157/180 मु.नं.51 किला नं. 6 ता 17/.253 प्र =3.036 है0 प.नं.156/180 मु.नं. 52 किला नं. 1,2/.253प्र. 6/.228 7 ता 14/.253 प्र.15/.228 गै.मु./.050 = 3.036 है0 पं.नं. 155/180 मु.नं. 53 किला नं. 5/.228 6/.253 गै.मु./.025 = 0.506 है0 कुल योग = 6.578 है0 चक 5 एम.जे.डी. पं.नं. 158/180 मु.न. 5 किला नं. 6 ता 12/.253 प्र. = 1.771 है0 पं.नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 9,10/.253 प्र. = 0.506 कुल = 2.277 है0 चक 7 एम.जे.डी. पं.नं. 157/181 मु.नं. 58 किला नं. 2 ता 6 /.253 प्र = 1.265 है0

- वादी सं. 5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल का हिस्साः—चक 7 एम.जे.डी. प.नं. 156/179 मु.नं. 50 किला नं. 12 ता 14/.253 प्र. 15,16/.228 प्र 17/.253 24/.253 25/.228 गै.मु./.075 = 2.024 है0 पं.नं. 157/180 मु.नं. 51 किला नं. 1 ता 5/.253 प्र. = 1.265 है. प.नं. 156/180 मु.नं. 52 किला नं. 3,4/.253 प्र. 5/228 गै.मु./.025= 0.759 है. कुल = 4.048 है0 चक 9 एन.टी.डब्ल्यु प.नं. 157/179 मु.नं. 51 किला नं. 6,7/.253 प्र. 11 ता 25/.253 प्र.= 4.301 है0 चक 7 एम.जे.डी. प.नं.156/179 मु. नं. 50 किला नं.18,19,21 ता 23/.253 प्र.=1.265 है0
- वादी सं. 6 देवीलाल पुत्र जीसुखराम का हिस्साः—चक 9 एन.टी.डब्ल्यु पं.नं. 159/179 मु.नं. 49 किला नं. 21,22/.253 प्र. = 0.506 है0 पं.नं. 158/179 मु.नं. 50 किला नं. 1 ता 4/.228 प्र. 7 ता 11/.253 प्र. 20,21/.253 प्र 22 ता 25/.253 प्र गै.मु./. 101 =3.796 है0 कुल = 4.302 है0 चक 5 एम.जे.डी. पं.नं. 158/180 मु.नं. 5 किला नं. 1 ता 5/.253 प्र. 18 ता 23/.253 प्र.= 2.783 है0 पं.नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 1,2/.228 प्र गै.मु./.051 = 0.507 है0 पं.नं. 158/181 मु.नं. 21 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10/.253 प्र.= 1.518 है.कुल = 4.808 है.।
- प्रतिवादीया सं. 2 मन्जू देवी पुत्री देवीलाल (पत्नि देवराज) का हिस्साः—चक 9 एन. टी.डब्ल्यु प.नं. 158/179 मु.नं. 50 किला नं. 12 ता 14/.253 प्र. 16 ता 19/.253 प्र. = 1.771 है0

उक्तानुसार वादीगण व प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। उक्त खाता में से उक्तानुसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश दिये जाते है। चक 9 एन.टी.डब्लयु प.न. 158/179 मु.न. 50 में पत्थर लाईन के साथ साथ किला न. 1—10—11—20—21 में दो—दो विस्वा रास्ता उतर से दक्षिण व चक 5 एम.जे. डी. प.न. 158/180 मु.न. 5 मे पत्थर लाईन के साथ साथ किला न. 1—10—11—20—21 में उतर से दक्षिण में दो—दो विस्वा रास्ता स्वीकृत कर गैर मुमकिन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। पर्चा डिग्री अलम से जारी होकर पत्रावली फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 10.06.2019 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ. आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रियां संहिता
न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी,संगरिया
पीठासीन अधिकारीः–उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस.
प्रकरण संख्याः–124/2019

1. अभिषेक पुत्र कुलदीप गोदारा जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
2. आरजू गोदारा पुत्री कुलदीप गोदारा जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
3. सूजल गोदारा पुत्र सुरेन्द्र गोदारा नाबालिग ज.कु.बली माता बिरमादेवी पत्नि सुरेन्द्र कुमार जाति जाट आयु 11 वर्ष सा. नाथवाना तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।
4. कुलदीप पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
5. सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।
6. देवीलाल पुत्र जीसुखराम जाति जाट साकिन नाथवाना तहसील संगरिया।

–वादीगण

बनाम

1. पुष्पादेवी पुत्री देवीलाल (पत्नि रविन्द्र कुमार) जाति जाट साकिन कुलारां तह. व जिला फाजिल्का (पंजाब)
2. मन्जूदेवी पुत्री देवीलाल (पत्नि देवराज) जाति जाट साकिन बोलावाली तह.संगरिया।
3. शाखा प्रबन्धक एक्सिस बैंक शाखा संगरिया तहसील संगरिया।
4. शाखा प्रबन्धक ओ.बी.सी. बैक शाखा संगरिया।
5. तहसीलदार राजस्व संगरिया तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ़।

–प्रतिवादीगण

यह राजस्व मुकद्मा आज मुझ उम्मेद सिंह रतनू आर.ए.एस. के समक्ष वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे बहाजरी श्री नक्षत्रसिंह सिद्धू वकील वादीगण मिन जामिन मुदई श्री गुरमीतसिंह कलसी वकील प्रतिवादीगण मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिग्री दी जाती है किः–

- वादी सं. 1 अभिषेक पुत्र कुलदीप गोदारा का हिस्सा :–चक 7 एम.जे.डी. पं.नं. 157/180 मु.नं. 51 किला नं. 18 ता 25/.253 है प्र. = 2.024 है0 पं.नं. 156/180 मु.नं. 52 किला नं. 16/.228 17 ता 24/.253 है.प्र. 25/.228 गै.मु/.050 = 2.530 है0 पं.नं 156/181 मु.नं. 57 किला नं. 1 ता 5/.228 है.प्र. 6 ता 8/.253 है.प्र. 9/.190 10/.063 13/.063 14/.190 15/.253 गै.मु./.125 = 2.783 है. पं.नं. 157/180 मु.नं. 58 किला नं. 1/.253 7 ता 15/.253 प्र. = 2.530 है0 कुल योग = 9.867 है.।
- वादी सं. 2 आरजू गोदारा पुत्री कुलदीप गोदारा का हिस्साः–चक 5 एम.जे.डी. पं.नं 158/180 मु.नं. 5 किला नं. 13 ता 17/.253 है.प्र. पं.नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 11,12,13/.253 है.प्र. कुल = 2.024 हैं.
- वादी सं. 3 सूजल गोदारा पुत्र सुरेन्द्र कुमार का हिस्साः–चक 9 एन.टी.डब्ल्यु पं.न. 157/179 मु.नं. 51 किला नं. 3,4,5/.228 है.प्र. 8,9/.253 है.प्र. गै.मु./.076 कुल = 1.266 है.।
- वादी सं. 4 कुलदीप पुत्र देवीलाल का हिस्साः– चक 7 एम.जे.डी. पं.नं.157/180 मु.नं.51 किला नं. 6 ता 17/.253 प्र =3.036 है0 प.नं.156/180 मु.नं. 52 किला नं. 1,2/.253प्र. 6/.228 7 ता 14/.253 प्र.15/.228 गै.मु./.050 = 3.036 है0 पं.नं. 155/180 मु.नं. 53 किला नं. 5/.228 6/.253 गै.मु./.025 = 0.506 है0 कुल योग = 6.578 है0 चक 5 एम.जे.डी. पं.नं. 158/180 मु.न. 5 किला नं. 6 ता 12/.253 प्र. = 1.771 है0 पं. नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 9,10/.253 प्र. = 0.506 कुल = 2.277 है0 चक 7 एम. जे.डी. पं.नं. 157/181 मु.नं. 58 किला नं. 2 ता 6 /.253 प्र = 1.265 है0
- वादी सं. 5 सुरेन्द्र कुमार पुत्र देवीलाल का हिस्साः–चक 7 एम.जे.डी. प.नं. 156/179 मु.नं. 50 किला नं. 12 ता 14/.253 प्र. 15,16/.228 प्र 17/.253 24/.253 25/.228

गै.मु./.075 = 2.024 है0 पं.नं. 157/180 मु.नं. 51 किला नं. 1 ता 5/.253 प्र. = 1.265 है. प.नं. 156/180 मु.नं. 52 किला नं. 3,4/.253 प्र. 5/228 गै.मु./.025= 0.759 है. कुल = 4.048 है0 चक 9 एन.टी.डब्ल्यु प.नं. 157/179 मु.नं. 51 किला नं. 6,7/.253 प्र. 11 ता 25/.253 प्र.= 4.301 है0 चक 7 एम.जे.डी. प.नं.156/179 मु. नं. 50 किला नं.18,19,21 ता 23/.253 प्र.=1.265 है0

- वादी सं. 6 देवीलाल पुत्र जीसुखराम का हिस्साः—चक 9 एन.टी.डब्ल्यु पं.नं. 159/179 मु.नं. 49 किला नं. 21,22/.253 प्र. = 0.506 है0 पं.नं. 158/179 मु.नं. 50 किला नं. 1 ता 4/.228 प्र. 7 ता 11/.253 प्र. 20,21/.253 प्र 22 ता 25/.253 प्र गै.मु./. 101 =3.796 है0 कुल = 4.302 है0 चक 5 एम.जे.डी. पं.नं. 158/180 मु.नं. 5 किला नं. 1 ता 5/.253 प्र. 18 ता 23/.253 प्र.= 2.783 है0 पं.नं. 159/180 मु.नं. 6 किला नं. 1,2/.228 प्र गै.मु./.051 = 0.507 है0 पं.नं. 158/181 मु.नं. 21 किला नं. 1 ता 3, 8 ता 10/.253 प्र.= 1.518 है.कुल = 4.808 है.।
- प्रतिवादीया सं. 2 मन्जू देवी पुत्री देवीलाल (पत्नि देवराज) का हिस्साः—चक 9 एन. टी.डब्ल्यु प.नं. 158/179 मु.नं. 50 किला नं. 12 ता 14/.253 प्र. 16 ता 19/.253 प्र.= 1.771 है0

उक्तानुसार वादीगण एवं प्रतिवादीगण को खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते हैं। उक्त खाता में से उक्तुनसार हिस्सा कम/नाम कलमजन किये जाने के आदेश भी दिये जाते है। चक 9 एन.टी.डब्ल्यु प.न. 158/179 मु.न. 50 में पत्थर लाईन के साथ साथ किला न. 1—10—11—20—21 में दो—दो विस्वा रास्ता उतर से दक्षिण व चक 5 एम.जे.डी. प.न. 158/180 मु.न. 5 मे पत्थर लाईन के साथ साथ किला न. 1—10—11—20—21 में उतर से दक्षिण में दो—दो विस्वा रास्ता स्वीकृत कर गैर मुमकिन दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते है। उक्त आराजी पर बैंक ऋण की स्थिति में रहन मुक्त होने के पश्चात् ही राजस्व रिकार्ड में उक्तानुसार अमल दरामद किया जावे। खर्चा पक्षकारान अपना—अपना वहन करेंगे।

निज्.....निल्.....मुब्लिक्.....निल्.....बाबत्..... निल्.....खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीख वसूलयाबी तक्.....अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 10.06.2019 को जारी किया गया।

(उम्मेद सिंह रतनू)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी,संगरिया